बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–30/2017– 3863 /कृ0,पटना, दिनांक 03-10-,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 8567.45 लाख रूपये (पचासी करोड़ सड़सठ लाख पैंतालीस हजार रूपये) {(केन्द्रांश 4518.00 लाख रूपये, राज्यांश 3012.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 1037.45 लाख रूपये)} के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 8567.45 लाख रूपये (पचासी करोड़ सड़सठ लाख पैंतालीस हजार रूपये) {(केन्द्रांश 4518.00 लाख रूपये, राज्यांश 3012.00 लाख रूपये एवं राज्य योजना 1037.45 लाख रूपये)} के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत कार्यक्रम निम्न प्रकार है :– (राशि लाख रू0 में)

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
					हरित क्रांति	राज्य योजना	कुल
			चावल				
	समूह प्रत्यक्षण						
1	श्री विधि प्रत्यक्षण	रू० 3000/- प्रति एकड़	एकड़	52500	1575.00		1575.00
2	तनावरोधी प्रभेद	रू० 3000/- प्रति एकड़	एकड़	52500	1575.00		1575.00
3	जीरो टिलेज/सीड ड्रील/सीड ड्रम से धान की सीधी बुआई प्रत्यक्षण	रू० 3000/- प्रति एकड	एकड़	50000	1500.00		1500.00
	बीज वितरण						
4	अधिक उपजशील प्रभेद (प्रमाणित) बीज का वितरण	रू० 1500/–क्वी० (रू० 1000/–क्वी० हरित क्रांति एवं रू० 500/–क्वी० राज्य योजना)	क्वी०	17000	170.00	85.00	255.00
5	संकर प्रभेद बीज का वितरण	रू० 10000/–क्वी० (रू० 5000/–क्वी० हरित क्रांति एवं रू० 5000/–क्वी० राज्य योजना)	क्वी०	17000	850.00	850.00	1700.00
	पोषण प्रबंधन एवं मृदा सुधारक						
6	सूक्ष्म पोषक तत्व	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 200/– प्रति एकड़	एकड़	62500	125.00		125.00
7	जैव उर्वरक	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 120/– प्रति एकड़	एकड़	75000	90.00		90.00
	समेकित कीट प्रबंधन						
8	पौधा संरक्षण रसायन, जैव कीटनाशी/जैव घटक	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 200/– प्रति एकड़	एकड़	37500	75.00		75.00
9	खरपतवारनाशी	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 200/– प्रति एकड़	एकड़	32500	65.00		65.00

	परिसम्पति निर्माण							
10	पम्पसेट (डीजल/बिजली) 10 एच. पी. तक	सामान्य वर्ग हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 10000/– प्रति इकाई	अनु० जाति/अनु० जनजाति हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 15000/– प्रति इकाई	संख्या	12050 (सामान्य 10001 एवं अनु० जाति/अनु० जनजाति 2049)	1205.00	102.45	1307.45
11	पावर नैपसेक स्प्रेयर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 3000/– प्रति इकाई		संख्या	10000	300.00		300.00
	कुल					**7530.00**	**1037.45**	**8567.45**

3. योजना केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 के अनुपात में लागू की जायेगी। केन्द्रांश की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है एवं राज्यांश/राज्य योजना की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 के राज्यादेश संख्या–5055 दिनांक–30.11.2016 के द्वारा स्वीकृत योजना की अवशेष राशि के विरूद्ध योजना स्वीकृत की जा रही है। केन्द्रांश की राशि प्राप्त है।

4. वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत 143.88 करोड़ रू० (केन्द्रांश 86.33 करोड़ एवं राज्यांश 57.55 करोड़) विमुक्ति के विरूद्ध 78.06 करोड़ रू० (केन्द्रांश 41.15 करोड़ एवं राज्यांश 36.91 करोड़) का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

5. **फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन :–**

(1) प्रत्यक्षण कार्यक्रमों के लिए कृषि निदेशालय, बिहार के ज्ञापांक – 2172 दिनांक 25.05.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रत्यक्षण मॉडल उपलब्ध कराया गया है। इस मॉडल के अनुसार उपादानों का वितरण किया जायेगा। जिस मॉडल में फसल, सुक्ष्म/खरपतवारनाशी आदि के संदर्भ में किसी कृषि रसायन के नाम का उल्लेख नहीं है ऐसे मॉडल के लिए स्थानीय स्थिति के अनुरूप सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण की सलाह से आवश्यक रसायन जिला कृषि पदाधिकारी लाभान्वित कृषकों को उपलब्ध करायेंगे।

(2) प्रत्यक्षण के लिये क्लस्टर का न्यूनतम रकवा यथासंभव 20 एकड़ का होगा। प्रत्यक्षण स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो एवं जहाँ तक संभव हो यह सड़क के किनारे अवस्थित हो।

(3) चयनित कलस्टर के सभी इच्छुक कृषकों को **कम से कम 25 डिसीमल** तथा **अधिक–से–अधिक एक एकड़** क्षेत्र के लिए प्रत्यक्षण का लाभ देय होगा। जिन कृषकों का एक एकड़ से अधिक जमीन कलस्टर में आता हो उनको अन्य कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा।

(4) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत उपादानों का वितरण कार्यक्रम बामेतो/आत्मा द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय आयोजित शिविर में किया जायेगा। शिविर में प्रत्यक्षण मॉडल एवं प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तायुक्त उपादानों की व्यवस्था की पूर्ण जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी।

(5) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत धान का अधिकतम 10 वर्ष तक के आयु वाले प्रभेद के प्रमाणित बीज का उपयोग किया जायेगा।

(6) प्रमाणित बीज के क्रय पर अनुदान केवल सरकारी कंपनियों द्वारा आपूर्ति किये गये बीज पर देय होगा तथा संकर प्रभेदों के लिये प्रशासी विभाग द्वारा चिन्हित एवं अनुशंसित प्रभेदों के बीज के क्रय पर अनुदान देय होगा।

(7) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत वितरण किये जाने वाले उपादानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। वितरित किये जाने वाले प्रत्येक उपादानों का पर्याप्त मात्रा में नमूना संग्रह कर जाँच विश्लेषण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अमानक पाये जाने वाले उपादान की बिक्री के लिए दोषी विक्रेताओं/आपूर्तिकत्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(8) क्षेत्र दिवस का आयोजन, प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण एवं वैज्ञानिक/पदाधिकारी भ्रमण मद में कुल 320.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित राशि का व्यय प्रत्यक्षण मॉडल के अनुसार संबंधित कार्यमद के लिये सुनिश्चित किया जायेगा। क्षेत्र दिवस के अवसर पर फसल जाँच कटनी का भी आयोजन किया जायेगा।

(9) प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल के साथ एक कन्ट्रोल प्लॉट चिन्हित किया जायेगा एवं प्रत्यक्षण के लिए संबद्ध कर्मी के द्वारा दोनों प्लॉटों के लिए शष्य क्रियाओं से संबंधित व्यौरा पंजी में संधारित किया जायेगा।

(10) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक समूह प्रत्यक्षण के साथ–साथ कन्ट्रोल प्लॉट का भी फसल जाँच कटनी प्रयोग आयोजित किया जायेगा तथा इसका अभिलेख संधारित किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा फसल कटनी का प्रतिवेदन कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। सर्वोत्तम समूह प्रत्यक्षण के लिये सफलता की कहानी प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर क्रमशः प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक, जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा एवं बामेती पटना के स्तर से तैयार कर विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा।

(11) प्रत्यक्षण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल के लिए एक कृषि समन्वयक को संबद्ध किया जायेगा। प्रत्यक्षण स्थल पर संबंधित कृषि विशेषज्ञ को स्थल भ्रमण एवं पर्यवेक्षण कराने तथा उनके देख–रेख में प्रत्यक्षण कार्य पूर्ण कराने की पूरी जबाबदेही संबंधित कृषि समन्वयक/संबद्ध कर्मी की होगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने प्रखंड में उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की तकनीकी देख–रेख में प्रत्यक्षण आयोजित किया जायेगा।

(12) क्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये सतत् मानिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों द्वारा सघन पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु दायित्व का निर्धारण करेंगे।

(13) प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रशासी विभाग द्वारा संबंधित प्रत्यक्षण के लिये निर्धारित प्रत्यक्षण मॉडल के अनुसार किया जायेगा। इस मद में अनुदान सहायता राशि का भुगतान उपादानों के वास्तविक मूल्य के आधार पर निर्धारित ईकाई लागत के अंतर्गत किया जायेगा। वास्तविक मूल्य मॉडल में विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि का वहन कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रत्यक्षण मॉडल अंतर्गत उपादानों के वास्तविक मूल्य का अर्न्तसमायोजन आवश्यकतानुसार प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सहायता राशि के अंतर्गत किया जा सकेगा।

(14) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत यंत्र/मशीन के उपयोग से संबंधित भाड़े के देय राशि का भुगतान लाभान्वित को अथवा लाभान्वित की सहमति पत्र के आलोक में सत्यापित रकवा के आधार पर यंत्रधारक–सह–सेवादात्री को डी0बी0टी0 द्वारा किया जायेगा। सत्यापन प्रतिवेदन में संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रत्यक्षण स्थल के चौहद्दी को एक कृषक एवं लाभान्वित का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

6. अनुदानित दर पर बीज एवं अन्य उपादानों का वितरण :–

(i) प्रत्यक्षण एवं अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम अंतर्गत धान का अधिकतम 10 वर्ष तक के आयु वाले प्रभेद के प्रमाणित बीज का उपयोग किया जायेगा। वर्ष 2017–18 के लिए विभाग द्वारा चिन्हित प्रभेदों का वितरण किया जायेगा।

(ii) प्रमाणित बीज के क्रय पर अनुदान केवल सरकारी कंपनियों द्वारा आपूर्ति किये गये बीज पर देय होगा तथा संकर प्रभेदों के लिये प्रशासी विभाग द्वारा चिन्हित एवं अनुशंसित प्रभेदों के बीज के क्रय पर अनुदान देय होगा।

(iii) अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज/संकर बीज एवं अन्य उपादानों के क्रय पर **एक कृषक को अधिकतम पाँच एकड़** के लिये अनुदान अनुमान्य होगा।

(iv) अनुदानित दर पर बीज एवं अन्य उपादान का वितरण फोटोयुक्त पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र/अन्य) अथवा त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य के पहचान के आधार पर **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर किया जायेगा।

(v) अनुदानित दर पर बीज एवं अन्य उपादानों के वितरण में इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी। वितरित किये जाने वाले प्रत्येक उपादानों का पर्याप्त मात्रा में नमूना संग्रह कर जाँच विश्लेषण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।